FORM-I (for linear projects)

Government of Himachal Pradesh Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated

2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05th February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1-16 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of H.P.P.W.D. for the construction of link road Dokru Lehar to Neri K.M. 0/0 to 2/960 in Bilaspur district falls within the jurisdiction of Rohal village in Jhandutta Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1-16 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it:
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

Vivek Bhatia (I.A.S.)

Dputy Commissioner,

Distt. Bilaspur, H.P.

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (C), JHANDUTTA DISTRICT BILASPUR (HP)

Proceeding of the meeting of the Sub Divisional level Committee constituted under Scheduled Tribe & Other (Recognition Dwellers Forest Traditional Rights) Act. (FRA) 2006.

Jhandutta Sub Division constituted under Forest Right Act. 2006 was held under Chairmanshin/ch. Chairmanship/chairpersonship of Sub Divisional Officer (C), Jhandutta on 17-09-20 **%** at 12-00 Noon at Jhandutta in which the application(s) claiming rights in 1-16 Hect. Forest areas under Forest Right Act. Executive Engineer 2006 of the following applicant, duly processed and jandutta Division, Construction of Link Road Dokru Lehar to Neri K.M. 0/0 to 2/960 under P.M.G.S.V. Gram Cally to 2/960 under P.M.G.S.Y Gram Sabha were discussed to consider the same for recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion the following decision were taken on the application.

Name of Applicant Executive Engineer, H.P.P.W.D Division, Shumarwin, Distt. Bilaspur (HP).

3250

Place: Jhandutta Dated: 24-09-2018 Sub Distonation (Officer (C);

Jhanodita, tostneriellaspurt H.P.)

Decision (Recommended)

Bilaspur (HP).



Office of the Deputy Commissioner District Bilaspur (Himachal Pradesh)

FRA Certificate (Under FRA 2006) to be issued By District Level Committee.

Proceedings of the meeting of District level Committee constituted under Scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Bilaspur constituted under FRA 2006 was held under the Chairmanship of Sh. Vivek Bhatia (I.A.S.) Deputy Commissioner, Bilaspur on 17-01-2019, 10-30 A.M. at Bilaspur in which the following applications were discussed and approved in view of recommendations made by the Sub Divisional Level Committee of Sub Division Jhandutta, District Bilaspur, H.P.

Sr.No.	Total Land	Purpose.
1.	08-16-83 hectare	Diversion of Minor Minerals extraction of Sand, Stone and Bajri from Jhareri-I in Seer Khad.
2.	1-16 hectare	Diversion of Link road Dokru Lehar to Neri K.M. 0/0 to 2/960.
3.	<u>0-28-20 hectare</u>	Diversion of Link road Jeora to Rohal via Lehar.
4.	<u>0-95-55 hectare</u>	Diversion of Link road Bhager Vijaypur Chounta Road to Khujnal road.

1. Amarjeet Singh Bangga, Zila Parishad. (Member)

3. Meena Devi, Zila Parishad. (Member) 2. Pushpa Kumari, Zila P∄rishad. (Member)

 Saroj Bhai Patel, D.F.O., Distt. Bilaspur(H.P) (Member)

5.(Spavan Manta, Additional District Magistrate, Bilaspur, H.P. (Member Secratary)

6. Vivek Bhatia (I.A.S.)
Deputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.
(Chairman)

रीटक क	गर्यवाही वन अधिकार सरि	3447-1	180	- 1	तहसील
	ड्रान्ट् <u>ता</u>		पुर, हि०प्र० ।		
	आज दिगांक 23	1 /	को व	न अधिकार	समिति ग्राम
72	हिल की है	रिक अध्यक्ष श्री		वनी राम	की
अध्यक्षता	में राम्पन्न हुई जिसमें निम्निट	भस्त्रित सदस्य गौजू	<u> લ થે – </u>	जाति	हस्ताक्षर
कगांक	नाम व पिता/पति का	पद नाग	ग्राग	जात	2011
	ला-गराम	3182181	रोहल	CH8401	Collate 10
1.	- A			11	अन्तित (व)
2.	अनीना देवी	21न्वित		Sc	Ranjeet Stan
3.	Ranjeel Singh.	J-194-21		OBC	of and in
4.	्रीकाराम	1(11	SC	27-1218
5.	चेनुराम				1
6.	attent Mo-1501 18	١,		00:51101	Puison
7.	भीवा देवा	/ '	//	918 401	JAITABEVI
8.	Saludina Sharma	11	//	11	Subchar
9.	Sunita Devi	11	//	11	Sind
10.	Sunil kimas	11	(/	1)	Sund Kum
			0 (Per de d	्र मसवाल
	वन अधिकार समिति ने र	राजस्व विभाग क	पटवारा / कानूनग) %I	
तथा व	न विभाग के वन रक्षक	भी केल्टर	RIE		भूमि खसरा नम्बर
367/1	57, 476/408/340 R	क्वा 1-16	Hectara	্	सके सन्दर्भ में
3	7	1900 (200)	मां के लिए अ	नापति प्रमाण पत्र	व (विभाग का नाम)
Sich		7	4) 47 1615 61	A	क्षेत्र एवं किया व अन्य
180	40 MO 1-10 1	्र ने चाहा है	का भीका पर नि	राक्षण व्यक्तिगत	तौर पर किया व अन्य
छानबीन	। निमा प्रकार से की गई:-				
	च्यान भगिका नक्या / उ	तीगा पटवारी तथ	। वन रक्षक ने सा	मेति के समक्ष बना	ाया ।
1.	उक्त भूमि पर समिति ने	गांववासियों से व	ान अधिकार अधि	नियम 2006 के उ	अंतर्गत दावे मांगे तथा
2.	किसी प्रकार का कोई दा				
	किसी प्रकार का काइ दा उक्त भूमि पर गद्दी गुज	al Kildiki da ak	र सम्बद्धामें का वि	का राह का दार	वा समिति के समक्ष पेष
3.	उक्त भूमि पर गद्दी गुज	जर या अन्य धुमन्	र् समुदाया पर्राप	→ → → → × × × × × × × × × × × × × × × ×	र गा नहीं है।
	ना हुआ तथा रागिति मान				1 00 01
	अतः बैठक में उपस्थित	संगिति सदस्यों ने	(उद्देष्य)	(45a) 13	मा०] हेतू
			-	हिल	के अंतर्गत उपरोक्त
समझने	। उपरान्त सर्वसम्मति से या के लिए वन भूमि दिये ज	e Maid Kiai is	- C 4 C	no dec of	री केरिया के लिये
प्रस्ताव	के लिए वन भूमि दिये ज	ाने पर कोई आप	त्ता नहा है। कु	12 (187	2 2 2
	्य काले बादी तन भगि के	ते अनगति बारे उप	गर्थत सदस्या न	सहगात व्यक्त व	हा है। यह अनुनात यन
0	र का माना अधिनिधम	2006 के अंतर्गत	सम्बन्धित अधिक	ारियों की आगामी	आवष्यक कायवाहा हतू
आधक	की जाती है। प्रस्ताव सर्व	समाति से पारित	व स्वीकार है ।	प्रमाणित किया र	जाता है कि उक्त प्रारूप
		CIPILL ALL			
कार्यवा	ही के अनुरूप है ।	10			
51	STIH 21	ाटा देवी	1/2	1	111
010	7/२/// ॐ /०। सचि		पटवारि	all a service	वन एक पिर्वा
प्रधान,		व, अधिकार सगि तिहा		M.	वृत
वन अ	धिकार सगिति, वन	€ Ø		√ हाकारों÷	
		4"	=	24	

वहानि सण्ड्रा विवा विकासपूर (हि०३०)

प्रपत्र-2		
		त जनजाति और
प्रतिलिपि प्रच		
प्रस्ताव संख्या	दिनांक	
ग्रम रामा <u>रेहिल।</u> की बैट	क्र आज दिनांक 23	9/2016
11:30 बजी खान जीम रेहित	में श्री/श्रीमित	24 4-11 591
की अध्यक्षता में की गई जिसमें <u>रेहिल</u> मां	व के अनुसूचित् जनजाति उ	तर अन्य परम्परागत पन
निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के	अन्तर्गत रहिला	जंगल / वन
क्षेत्र मे (जिसमें दाकड़ लेहड़ ने	ri rasah Km 0	00 to 2 4 % निर्माण
के लिएहै वर्ट	ट्रेयर वन भूमि के उपयोग व	त्री मंजूरी प्रस्तावित है ।)
बैठक में निग्न सदस्यों ने भाग लिया:-		4
कमांक पात्र गांववासी का नाम	गांव का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	र्राहल	अध्यक्ष
2. अनीता देवा	शहल	सम्पर
3. र्गजीत सिंह	1	462-21
4. जिसका श्री	/	संबर-भ
बैटक में वन अधिकार सा	मेति रोहल	हारा
देखाइ लेडिड नेरी सडक		(उद्देष्य) के लिए
Cor. 1)		त प्रमाण पत्र के ऊपर विचार
विमर्थ किया गया तथा सर्वसम्मित से यह प्रस्ताव पा		
में भूमि खसरा नम्बर 9,367(157, 4		
को संडिक लेग निमाण (उदरे	या) के दिया हरताल्यण क	ने पर इस गाम सभा को कोई
को अञ्चल स्था माणा (अवव	च्या के लिए हस्सान्सरण पर	वन निवासी (वन अधिकारों की
एतराज नहीं है क्योंकि उक्त गांव में अनुसूचित ज	नजात एवं अन्य परन्यशास	या विवासी (या जानवास का
मान्यता) अधिनियम, २००६ के तहत कोई मामला ल	भाम्बत गर्हा है।	
अतः ग्राम समा अपनी अनापति प्रमाण पत्र	्राधा करता है ।	
	EJOTA IL	अन्तील ५
31604	प्रधान.	सचिव

वन अधिकार समिति वन अधिकार समिति

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

		तम सभा _ रोहल	
		तिलिपि प्रस्ताव	
प्रस्ताव संख्या	दिनांक	23/9/16	-10111
अध्यक्षता गें निवासी (वन वन क्षेत्र में 1.16 ग्राम सभा व	समा रिटिट के वजे. स्थान रिटिट के गई जिसमें रिटिट र अधिकारों की मान्यता) अधिनयम, 2006 के (जिसमें टिट पुल्ली जिसके विभाग द्वारा है क्टेयर वन भूगि के उपयोग की मंक की वन अधिकार समिति की सिफारिष के उअधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावों मा द्वारा निम्मिलिखित पात्रों का दावा नियमान पात्र ग्राम वासी का नाम	बैठक आज दिनांक में श्री / श्रीमती पांव के अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत अन्तर्गत अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त	जार अन्य परम्पाता कर जंगल / प्रदक्त के निर्माण के लिए कारों के लिए दावे हेतू इस में के आवेदनों पर चर्चा की
को प्रेशित	तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दाव करती है । उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा पात्र ग्रामवासी का नाम		
कमाक	पात्र ग्रामवासा का नाम		
1.			
2.			
	ार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त मसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूच अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ ।	वना के अनुसार <u>शिक्त</u> अधिकृत ह ग्राम समा	जंगल/वन क्षेत्र में कोई राज्य इस्ताक्षर कर्ता
•	ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंनें इर किया है । प्राजैक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (अनुमति दी जानी है।	n वन क्षेत्र/जंगल में वन	अधिकार के दावे के लिए आवेदन के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की

सूचित जनजाति	। और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अ	धेकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006		
		यन अधिकार समिति		
		ग्राम समा रोहल		
		प्रतिलिपि प्रस्ताव	- lalit	
		दिनांक	23/9/16	
ताच संख्या	A	- on Onto	ने 11:30 बजे स्थान २ हि ८५	,
ग्राम र	ты <u> </u>	विकास विकास	गांव के अनुसूचित जनजाति और	अन्य
मे श्री/श्रीमति	भूपना द्वा का अध्यवता	अधिनियम 2006 के अर्न्तगत	्रिट्रिं जंगल/ वन क्षेत्र में (उद	(दध्य)
म्परागत वन	Hadrey land Shear AS	के निर्माण	25/9/16 हो 30 बजे, स्थान व्यक्ति प्रनजाति और गांव के अनुसूचित जनजाति और जगत/ वन क्षेत्र में (उद के लिए 1.16 हैक्टेयर वन मूमि के उ	पयाग
11.3	CARS ELV	क - अधिका समिति	की सिफारिष के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवद	ना पर
ामधूरा प्रस्तात र्जाकी गर्दा त	न अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत द	रतावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्	तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पा	31 4 21
ावा नियमानसार	र सही पाया गया :-		,	
		-i 77 7111	वन अधिकार का व्योरा	
क0 स0	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम		
	10 0			
	'at होते	वीहल		
	कोई नहीं	र्शहल		
	वर्गाडे नहीं	र्शहल		
			कि को प्रेणित करती हैं।	
तदानुसार यह	प्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित		ति को प्रेशित करती है।	
	ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित	करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की सि	ति को प्रेशित करती है।	
	ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार र	करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की सि	ति को प्रेशित करती है।	
	ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित	करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की सि	ति को प्रेशित करती है।	
उपरोक्त में से	ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार र	करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की सिंग नहीं नहीं पाया गया :-		
उपरोक्त में से	ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार र	करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की सिंग नहीं नहीं पाया गया :-		
उपरोक्त में से	ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार र	करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की सि		
उपरोक्त में से	ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार र	करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की सिंग नहीं नहीं पाया गया :-		
उपरोक्त में से	ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार र	करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की सिंग नहीं नहीं पाया गया :-		
उपरोक्त में से	प्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित निम्नित्खित पात्रों का दावा नियमानुसार र पात्र गांव वासी का नाम	करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की सि मही नहीं पाया गया :-		
उपरोक्त में से क0 सं0	ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निम्निलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार र पात्र गांव वासी का नाम	करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की सिन् मही नहीं पाया गया :-	्र नहा	नहीं हुउ
उपरोक्त में से क0 स0 तदानुसार ग्राम	याम सभा इस दावे / इन दावों को पारित निम्नित्खित पात्रों का दावा नियमानुसार र पात्र गांव वासी का नाम स सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त व ा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना	करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की सिन् मही नहीं पाया गया :-		गहीं हुउ
उपरोक्त में से क0 स0 तदानुसार ग्राम	याम सभा इस दावे / इन दावों को पारित निम्नित्खित पात्रों का दावा नियमानुसार र पात्र गांव वासी का नाम स सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त व ा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना	करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की सिन् मही नहीं पाया गया :-	्रिस् स्थि। ल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त न	र्वाहीं हुव
उपरोक्त में से क0 स0 तदानुसार ग्राम	याम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निम्नित्खित पात्रों का दावा नियमानुसार र पात्र गांव वासी का नाम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त व ा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना	करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की सिन् तही नहीं पाया गया :- करती है। के अनुसार	्रिस् स्थि। ल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त न	नहीं हुउ